

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया  
रामदेव यादव बनाम अशोक यादव वगैरह

वाद संख्या - 119/2023

धारा - 144 द0प्र0स0

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
10/10/23	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के रामदेव यादव पिता स० बैजनाथ यादव के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि हुकुमनामा की जमीन है। जिसपर द्वितीय पक्ष के द्वारा धान रोपने की धमकी दिया जा रहा है जिसको लेकर विवाद है। वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत है</p> <p style="text-align: center;">ग्राम + मौजा - बटलोहिया, थाना - बिरनी, खाता नं० - 5, प्लॉट नं० - 528, रकबा - 2.70 एकड, मध्ये 1.20 एकड चौहदी उ० - परती कदीम, दं० - परती कदीम, पू० - नदी, पं० - परती दर्ज है।</p> <p>द्वितीय पक्ष के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर बलपूर्वक हडपने की नियत से धान की रोपनी करने की धमकी दे रहे हैं इस कारण से काफी विवाद हो रहा है।</p> <p>प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि इनके पूर्वज को हुकुमनामा से हासिल है। जिसपर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है। तथा उक्त जमीन पर प्रथम पक्ष धान की रोपनी करने की धमकी दे रहे हैं जिसकी जमाबंदी अंचल कार्यालय बिरनी में कायम है।</p> <p>आवेदक के द्वारा अपने दावे के समर्थन में हुकुमनामा कि छायाप्रति मालगुजारी रसीद कि छायाप्रति एवं पंजी II क छायाप्रति दाखिल किया गया है।</p> <p>द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कारण-पृच्छा दाखिल कर बताया गया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि इनके पूर्वज वजी गोप के नाम से भुतपूर्व जमीनदार शिवशंकर राम मोदी वगैरह से हासिल है जिसकी जमाबंदी कायम कायम है।</p> <p>द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में हुकुमनामा,</p>	

पंजी II, मालगुजारी रसीद कि छायाप्रति दाखिल किया गया है।

थाना प्रभारी बिरनी के ज्ञापक संख्या - 1851/23  
दिनांक 06/08/2023 के जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के द्वारा  
दाखिल कारण-पृच्छा एवं दस्तावेज का अवलोकन किया अवलोकन के  
पश्चात प्रतीत होता है।

अतः नियमन को प्रथम पक्ष के हित में रिक्त तथा  
द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष घोषित किया जाता है।


उक्त विवेचन के साथ वाद कि कार्यवाई समाप्त कि जाती है।

यह आदेश दं0प्र0सं0 कि धारा 144(IV) के नोटिस निर्गत करने  
की तिथि अर्थात् 12/08/23 से साठ दिनों के लिये प्रभावी होगा।

लेखापित।

  
अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर-सरिया

  
अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर-सरिया